

15/6/2022

~~आज यह पत्रावली पेशी में की गई।
वकील प्राची को आज्ञा लगाई गई।
हाजिर आपे। हस्तगत प्रकरण के विषय
में जानकारी पेश की है कि प्रत्यक्ष का
मूल दावा खारिज हो चुका है। कना
वकील साहब के अर्थ पर विश्वास करते
हैं कि मूल दावा खारिज हो चुका है
कना प्रत्यक्ष 212 रकम आगे रखापे जाने
का कोई विचार नहीं है। (आज्ञा) हस्तगत
प्रकरण क्र० एम० 212 रकम डी। एर पर
खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फैसला
सुनार से दालिल पत्रावली की जाती है।~~

बिज